न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या: 168 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 285)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जसप्रीत सिंह पुत्र जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 ओ जरिये मुखत्यारेआम जसपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ओ जरिये मुखत्यारेआम जसपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. अवतार सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. जगदीप सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसदीप सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 30.08.2024

उपस्थित:1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी

—निर्णय— **दिनांक: 16.07.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 9 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के अनुसार खाता संख्या 48/48 में मुरब्बा नम्बर 33, 34, 64/21 की कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 के नाम 0.506 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 के नाम 5.435 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वाहमी बंटवारा अनुसार वादीगण को मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम-सालम, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 ता 20 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 22 की 0.122 हैक्टेयर, किला नम्बर 23, 24 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.228 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 64/21 की 0.126 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने-अपने नाम की भूमि का आपसी सहमति व सुविधा अनुरूप वाहमी विभाजन अवश्य कर लिया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि विभाजन अनुरूप पक्षकारान के नाम अलग से दर्ज नहीं हुयी है। पक्षकारान अपने हिस्सा में आयी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में भिन्न भूमि पक्षकारान के नाम से दर्ज होने के कारण पक्षकारान को भारी परशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने आज से 2 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को किलावाईज राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 9 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के अनुसार खाता संख्या 48/48 में मुरब्बा नम्बर 33, 34, 64/21 की कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम-सालम, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 ता 20 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 22 की 0.122 हैक्टेयर, किला नम्बर 23, 24 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.228 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 64/21 की 0.126 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 9 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के अनुसार खाता संख्या 48/48 में मुरब्बा नम्बर 33, 34, 64/21 की कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 जसप्रीत सिंह के नाम 0.506 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 जोगेन्द्र सिंह के नाम 5.435 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण जसप्रीत सिंह, जोगेन्द्र सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 9 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के अनुसार खाता संख्या 48/48 में मुरब्बा नम्बर 33, 34, 64/21 की कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 जसप्रीत सिंह के नाम 0.506 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 जोगेन्द्र सिंह के नाम 5.435 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.		रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	जसप्रीत सिंह पुत्र जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ओ (0.506 हैक्टेयर) जोगेन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ओ (5.435 हैक्टेयर)	9 ओ	34	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	न्हरी	8.40
				5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				7 ता 14	2.024 हैक्टेयर	नहरी	16.80
				15	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				16	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				17 ता 20	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
				22	0.122 हैक्टेयर	नहरी	1.01
				23, 24	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			64/21		0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)